विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 281 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जून 2013 से 28 जून 2013

पारदर्शिता से परहेज क्यों?

• बाबूलाल नागा •

यह सूचना के अधिकार की ताकत का ही नतीजा है कि आज राजनीतिक दल इस कानून से काफी आतंकित है। वे सूचना के अधिकार कानून के तहत जवाब देने से कतरा रहे हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का विरोध करते हुए एक हो गए हैं। कह रहे हैं राजनीतिक दल कोई सरकारी संस्था थोड़े ही है जो उस पर सूचना के अधिकार का शिकंजा कसा जाए। कहा जा रहा इससे लोकतंत्र कमजोर होने का डर है और यह संवैधानिक संकट है।

राजनीतिक दलों में यह खलबली केंद्रीय सूचना आयोग के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद मची है जिसके तहत सूचना के अधिकार के दायरे में राजनीतिक दलों को लाया गया है। 3 जून को केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने फैसले में कहा था कि सूचना के अधिकार कानून के तहत राजनीतिक दलों को भी जवाब देना होगा। मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा और सूचना आयुक्तों एमएल शर्मा और अन्नपूर्णा दीक्षित की आयोग की पूर्णपीठ ने कहा कि राजनीतिक दल राजनैतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस कारण लोकहित में यह जरूरी है कि राजनीतिक दलों के कोष और लेखा पारदर्शी हो। आयोग का मानना है कि राजनीतिक दलों को आयकर में छूट और सस्ती जमीनें दी जाती हैं। चुनाव के समय रेडियो और दूरदर्शन पर मुफ्त समय दिया जाता है। इसमें भी सरकारी मदद होती है। लिहाजा वे सूचना के अधिकार कानून के दायरे में हैं। फिलहाल छह दल कांग्रेस, भाजपा, भाकपा, माकपा, राकांपा और बसपा सूचना के अधिकार के दायरे में होंगे। आयोग ने इन सभी दलों को छह महीने के भीतर सूचना अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। आवेदनों पर एक महीने में जवाब देना होगा। आरटीआई प्रावधानों के तहत जरूरी सूचनाएं अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी। दरअसल, मामला आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स के अनिल बैरवाल की आरटीआई अर्जियों से जुड़ा हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों की ओर से प्राप्त चंदे आदि के बारे में जानकारी मांगी थी। दानदाताओं के नाम, पते आदि के बारे में पूछा था। मगर भाकपा को छोड़ कर अन्य राजनीतिक दलों ने यह सब जानकारी देने से मना कर दिया। कहा वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते। मामला केंद्रीय सूचना आयोग में गया और आयोग ने राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने की बात कही। इसी फैसले के बाद राजनीतिक दलों में तिलमिलाहट देखी जा रही है। सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की आयोग की व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं। विशेषकर केंद्र में सत्तारूढ़ दल के नेताओं को यह सब रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस केंद्रीय सूचना आयोग के इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।

दरअसल, अब तक राजनीतिक दल 20 हजार रुपए से कम चंदे की जानकारी ही चुनाव आयोग को देते थे। नए नियमों के बाद अब उन्हें पाई पाई का हिसाब देना होगा। दलों को बताना होगा कि उनके पास पैसे कहां से जाए। पैसों को कहां व कैसे खर्च किया। चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को कैसे चुना। राजनीतिक दलों को सरकार से मिलने वाले पैसे और जमीन की भी जानकारी देनी होगी। इन सब बातों से एक बात बिल्कुल साफ है कि पारदर्शी होने पर राजनीतिक दलों की पोल खुल जाने का खतरा है। इसी कारण सूचना के अधिकार के विरोध में एक साथ स्वर उठ रहे हैं और पारदर्शिता बरतने में परहेज किया जा रहा है। राजनीतिक दलों का ध्येय लोकतांत्रिक तरीके से जनसेवा है, तो फिर जनता को अपना हिसाब किताब बताने से क्या दिक्कत है। आज नहीं तो कल राजनीतिक दलों को पारदर्शिता लाना ही होगा। गांव के लोगों द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा है ''हमारा पैसा हमारा हिसाब'' यानी सबको जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। राजनीतिक दलों में विश्वसीनयता तो तभी बढ़ेगी जब उसमें पारदर्शिता हो। **(विविधा फीचर्स)**

इस अंक में...

- **पारदर्शिता से परहेज क्यों?**
- **कोताही बरतना पड़ रहा है भारी**
- **अरुणा रॉय का राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से किनारा**
- **जब अन्याय और अत्याचार चर्म पर पहुंचता है तो नक्सलवाद जन्मता है**
- **कुशल नेतृत्व की एक मिसाल कमला देवी**
- **अर्थशास्त्र की ऊंची मीनार से कुपोषण मिटाने की यह कवायद**
- **चुनौतियों के साथ पढ़ाई व ग्राम विकास**
- **जयपुर में राजस्थान लघु पत्रिका सम्मेलन**
- **गुलमोहर फूल नहीं ऊर्जा हैं**
- **मनरेगा का सकारात्मक असर स्कूली नामांकन और शिक्षा पर**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 281 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जून 2013 से 28 जून 2013

कोताही बरतना पड़ रहा है भारी

• भंवर मेघवंशी •

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम की पालना में कोताही बरतना कई सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए भारी पड़ने लगा है। राजसमंद, अजमेर, पाली तथा भीलवाड़ा जिले में मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा निकाली जा रही 'सुनवाई एवं कार्यवाही यात्रा' के दौरान जहां जहां भी राजीव गांधी सेवा केंद्रों की एकल खिड़कियां बंद मिल रही हैं उनकी जानकारी राज्य सरकार को दी जा रही है।

मजदूर किसान शक्ति संगठन की ओर से राजस्थान के चार जिलों में जवाबदेह प्रशासन का मूलभूत ढांचा स्थापित करने के लिए एक महीने की सुनवाई व कार्यवाही यात्रा अभियान की शुरुआत की है। 20 मई से शुरू हुई यह यात्रा राजस्थान में सुनवाई के अधिकार कानून का धरातल पर वास्तविकता में प्रभावशाली तरीके से लागू करने को आश्वस्त करने के लिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय शिकायत निवारण कानून को पारित करने की मांग को भी मजबूती से उठाना है। 16 जून 2013 तक तीन चरणों में यह यात्रा भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली तथा अजमेर जिलों के 6 ब्लॉक में जाएगी। यात्रा के दौरान यह देखा जाएगा कि सुनवाई का अधिकार अधिनियम की पालना किस तरह से हो रही है। पंचायत स्तर पर राजीव गांधी सेवा केंद्र में बनाई गई एकल खिड़की हर रोज 10 से 12 बजे खुलती है या नहीं। लोगों की शिकायतें ली जा रही हैं या नहीं। उसकी लाल रसीद दी जा रही हैं अथवा नहीं। सुनवाई के अधिकार को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही इस अनूठी सुनवाई एवं कार्यवाही यात्रा में देशभर से आए 60 लोग हिस्सा ले रहे हैं। यात्रा का प्रथम चरण 31 मई को पूरा हुआ। यात्रा अपने पहले चरण में चार जिलों के छह ब्लॉक की तकरीबन 30 ग्राम पंचायतों के 100 गांवों में गई।

सुनवाई के कानून के तहत स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य दिवस को दो घंटे सुबह 10 से 12 बजे तक लोक सुनवाई सहायता केंद्र की एकल खिड़की खोली जाएगी, जिसमें लोगों की शिकायतें दर्ज की जाएगी। उनकी रसीद दी जाएगी। हर शिकायत की सुनवाई आवश्यक रूप से 21 दिन में की जाएगी लेकिन देखा जा रहा है कि प्रशासनिक ढांचा इस कानून की मूल मंशा को स्वीकार ही नहीं पा रहा है। यात्रा के दौरान देखा गया कि सुनवाई करने में कोताही बरती जा रही है। सुनवाई का अधिकार कानून के नियमों की अनदेखी की जा रही है। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद भी राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर एकल खिड़की नहीं खुल रही है। पाया गया कि अभी भी प्रशासन की मशीनरी राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए राजी ही नहीं है। पाली जिले के रायपुर ब्लॉक में तो जनसुनवाई का पैनल ही मौजूद नहीं था। वहां के कार्यवाहक विकास अधिकारी राजाराम मीना का कहना था कि उनके यहां सुनवाई के अधिकार कानून की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो तो रोज ही सुनवाई करते हैं। राजसमंद जिले के भीम ब्लॉक के भी कुछ ऐसे ही हाल थे। वहां काफी लोगों के श्रमिक कार्ड का काम लेबर विभाग द्वारा किया गया। कूकड़ा पंचायत के लोगों ने उपखंड अधिकारी को बताया कि उनसे मनरेगा काम के आवेदन के लिए 200–200 रुपए लिए जा रहे हैं। जानकारी करने पर पंचायत ने बताया कि एक मिनी बैंक की बिल्डिंग बनाने के लिए यह राशि ग्राम सभा के प्रस्ताव के जरिए ली जा रही है। उपखंड अधिकारी ने सरपंच को निर्देशित करने की व्यवस्था की। कुछ लोगों ने आवेदन भी किए जिनसे राशि नहीं वसूली गई।

सुनवाई के अधिकार कानून में हो रही अनियमितताओं की शिकायतें तुरंत राज्य सरकार को दी जा रही हैं। इसका असर भी देखा जा रहा है। सरकार ने राजीव गांधी सेवा केंद्र की एकल खिड़की नहीं खोलने वाले कर्मचारी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। उन्हें एपीओ तथा सस्पेंड करने की भी कार्यवाही की गई है। अजमेर जिले की श्रीनगर पंचायत समिति के बीडीओ अमित जैन को एपीओ किया गया है। भीलवाड़ा जिले की सुवाणा पंचायत समिति की आटून ग्राम पंचायत के सचिव रमेश चंद्र पांडे को निलंबित कर दिया गया है। भीलवाड़ा जिला कलक्टर ओंकार सिंह ने उपखंड अधिकारी राजकुमार सिंह की रिपोर्ट पर पांडे को लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया। रोजगार सहायक हितेंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राजसमंद जिले की जनावद, पडासली, मचींद, नेगाडिया तथा सोलाकार पंचायतों में समय पर एकल खिड़की नहीं खोले जाने पर इन पंचायतों के रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। नरदास का गुड़ा, शेरवावास और कूकड़ा पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केंद्र बंद होने की शिकायत पर लोक सुनवाई सहायता केंद्र की एकल खिड़की को खुलवाया। भीलवाड़ा जिले की आसींद पंचायत समिति की तिलोली पंचायत के गांव में सुनवाई एवं कार्यवाही यात्रा पहुंची।

जारी

तिलोली पंचायत के करणगढ़ गांव की भील बस्ती के लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। राजपुरा में चिकित्सा सुविधा नहीं होने से लोग परेशान है। तीन कुडियां गांव में शराबी लोगों से यहां के लोग तंग है। तालाब का बाड़िया में न तो स्कूल है और न ही आंगनबाड़ी केंद्र। अधिकांश लोगों ने पेंशन के फॉर्म भरे हैं लेकिन किसी को भी पेंशन नहीं मिली है। यहां पर मनरेगा के काम पिछले 3 साल से बंद पड़े हैं। ग्रामीणों ने बताया कि तिलोली पंचायत में कोरम महीने में केवल एक ही बार होती है।

यात्रा राजसमंद जिले की जनावद, कांकरावा, ओड़ा तथा कनूजा के कई गांवों में गई। इन पंचायतों में सात दिनों में 244 लोगों ने राजस्थान सुनवाई के कानून के तहत अर्जियां दी हैं। इन पंचायतों में सबसे बड़ी समस्या पानी, बिजली और मनरेगा में काम नहीं मिलना या मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होना है। कांकरवा पंचायत के आमलारी छापर गांव की गरीब महिला धूली बाई को तीन साल पहले मनरेगा में किए 100 दिन के काम का भुगतान आज तक नहीं मिल पाया है। धूली बाई ने सुनवाई के अधिकार के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। यात्रा रायपुर पहुंची राजीव गांधी सेवा केंद्र पर एकल खिड़की साढ़े 10 बजे ही खुल पाई। यहां पर रोजगार सहायक का पद खाली है। शिकायतों की रसीद बुक उपलब्ध नहीं थी। सुनवाई केंद्रों की एकल खिड़की को खोलने में उदासीनता तथा मनरेगा के काम में लापरवाही बरतने वाले 15 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मोटा का खेड़ा पंचायत के जिम्मेदार कर्मचारी को निलंबित करने का आदेश विकास अधिकारी को दिया गया है। अजमेर जिले की जवाजा पंचायत समिति में भी शुरुआती अव्यवस्थाओं के बाद अब स्थितियां सुधरी हैं। भीम ब्लॉक की कूकरखेड़ा पंचायत में एकल खिड़की खुली हुई थी और अर्जियां ली जा रही थीं। देवगढ़ इलाके की कालेसरिया पंचायत में भी अंततः 12 शिकायतें दर्ज की गईं। मनरेगा के लिए कोई आवेदन नहीं मिला। भीम उपखंड क्षेत्र की पंचायतों में स्थित लोक सुनवाई सहायता केंद्र की एकल खिड़कियां खुली नहीं पाई जाने को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उपखंड अधिकारी भीम ओमप्रकाश विश्नोई ने कार्यवाहक विकास अधिकारी दिनेश शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसी तरह कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले लाखागुड़ा, कालादेह, बरार तथा ठीकरवास के रोजगार सहायकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

कुल मिलाकर राज्य सरकार के कड़े रवैए और प्रशासन के आला अधिकारियों की मुस्तैदी के चलते राजसमंद, भीलवाड़ा पाली और अजमेर जिले में राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 जमीनी स्तर पर लागू होता दिखाई दे रहा है। हालांकि जिला तथा उपखंड प्रशासन की तमाम मुस्तैदी और मजदूर किसान शक्ति संगठन की सुनवाई एवं कार्यवाही यात्रा के कारण आ रही जागरूकता के बावजूद भी एकल खिड़कियां समय पर नहीं खुल पा रही हैं। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 281 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जून 2013 से 28 जून 2013

अरुणा रॉय का राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से किनारा

• विविधा फीचर्स •

सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) का अगला कार्यकाल नहीं लेने का फैसला लिया है। उनका कार्यकाल 31 मई को पूरा हो गया है। उन्होंने एनएसी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि उन्हें एनएसी में एक और कार्यकाल देने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया है। अरुणा रॉय ने विश्वास जताया कि वे एनएसी के बाहर रहकर भी सामाजिक सरोकारों के अभियानों पर सहयोग देती रहेंगी।

अरुणा रॉय ने अपने पत्र में कहा कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत श्रमिकों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन को लेकर एनएसी की सिफारिशों को नामंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि फ्लैगशिप कार्यक्रम क्रियांवयन हेतु गठित एनएसी कार्यकारी समूह ने मनरेगा के क्रियांवयन से संबंधित कई मुद्दों को उठाया है। इस समूह की अनुशंसाएं मंत्रालय को भिजवाई गई हैं। इन अनुशंसाओं तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए नए दिशा निर्देशों के क्रियांवयन हेतु मंत्रालय ने एक कार्यक्रम सलाहकार समिति का गठन किया। ग्रामीण गरीबों के जीवन में परिवर्तन में सहयोग के बावजूद इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम का क्रियांवयन चुनौतीपूर्ण रहा है। मनरेगा के लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा समूह जो इसकी आलोचना तो करता है किंतु इस विधेयक का समर्थन भी करता है। इस व्यापक समूह का सार्वजनिक तथा राजनीतिक स्थान एक ऐसे छोटे, मुखर व सत्ता संपन्न अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा छीना जा रहा है जो मनरेगा के आधारभूत उद्देश्यों को कम आंकने पर आमादा है। अरुणा रॉय ने आशा व्यक्त की है मनरेगा को लेकर जन जागरूकता का एक अभियान चलाया जाना अत्यंत जरूरी है कि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए प्रावधानों से मनरेगा को अपनी वास्तविक क्षमताओं की उपलब्धि व सहयोग मिलेगा।

मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की दर से वेतन दिए जाने की एनएसी की अनुशंसा को प्रधानमंत्री द्वारा अस्वीकार किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील का निर्णय लिया है। उससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के मनरेगा मजदूरों के फैसले पर जो स्थगन आदेश दिया है उसे भी सरकार ने नहीं माना है और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने से इंकार कर दिया है। ये समझना बहुत मुश्किल है कि भारत जैसे देश में न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से इंकार करके भी सरकार समानता मूलक विकास का दावा कर सकती है। न्यूनतम मजदूरी कानून का सम्मान करने और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए सरकार को तैयार करने का काम एनएसी के बाहर भी चलाया जाना चाहिए।

अरुणा रॉय ने अपने पत्र में लिखा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एनएसी ने विधिक कार्रवाई पूर्व सलाह प्रक्रिया हेतु सहमति दी है और वह आवश्यक कार्रवाई हेतु इसे सरकार को भेजेगी। एनएसी स्वयं विधिक पूर्व संस्था है जिसे जन संवाद व सलाह से अत्यंत लाभ हुआ है। जेएस वर्मा कमेटी का कार्य व इसकी रिपोर्ट भी विधिक पूर्व सलाह प्रक्रिया का ही नतीजा रही है। इस मुद्दे पर एनएसी की अनुशंसा उस प्रक्रिया की शुरुआत है जो एक व्यापक जन संवाद के रूप में उभरेगी। निःसंदेह अनिवार्य जन संवाद सहभागी लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। यदि एनएसी की अनुशंसा पर सरकार ने कार्रवाई की तो निश्चित रूप से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। संसद का कानून और जन संवाद नीति पर अभी का रिकॉर्ड भी इस प्रक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित करता है। खाद्य सुरक्षा विधेयक पर उन्होंने कहा कि देश में कुपोषण और भूख की स्थिति के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा करके उसे अब तक पारित कर दिया जाना चाहिए था। इस बिल के विविध प्रावधानों पर एनएसी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में स्वस्थ और विस्तृत संवाद हुआ है। इससे ये स्पष्ट होता है कि संसद इसे उठाती तो यह एक मजबूत व जन समर्थित विधेयक हो सकता था। यद्यपि सामाजिक क्षेत्र में अनियमित वितरण का सवाल हमें परेशान करता रहता है किंतु पिछले दो सालों में इस मुद्दे पर हुई चर्चा ने हमें काफी महत्वपूर्ण तरीके सुझाए हैं जिन्हें अविलंब लागू किया जाना चाहिए।

अरुणा रॉय के मुताबिक पारदर्शिता व जवाबदेही कार्यकारी समूह ने भी कई जवाबदेही के मुद्दे उठाए हैं। इसमें लोकपाल, शिकायत निवारण, विसिल ब्लोअर बिल आदि शामिल हैं। इनमें से कई विधेयकों को अब संसदीय समिति से मंजूरी दी जा चुकी है और अब इन्हें तुरंत पारित किए जाने की जरूरत है। इन विषयों पर कानून बनाने व जनता द्वारा मॉनिटरिंग जैसे

जारी

सामाजिक अंकेक्षण के अभियान का सशक्तीकरण होना चाहिए। भविष्य में भारत में लोकतांत्रिक शासन के लिए इन मुद्दों पर तुरंत निर्णय लिया जाना बहुत जरूरी है। पहली आवश्यकता इन पर कार्रवाई किए जाने की है।

अरुणा रॉय ने एनएसी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे हाशिए पर जी रहे गरीबों, पारदर्शिता, जवाबदेही, और लोकतांत्रिक शासन के मुद्दों को सामने लाने का मौका दिया। एनएसी में मुझे बहुत क्षमतावान सहकर्मियों का साथ मिला जिन्होंने अपनी आलोचना एवं विश्लेषात्मक सहयोग से जनता, जन आंदोलनों व अभियानों के विचारों सुझावों को नीतिगत प्रारूपों में ढालने का महत्वपूर्ण कार्य किया। एनएसी सदस्य के रूप में मुझे जो लोकतांत्रिक आजादी मिली मैं इसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहती हूं। अध्यक्ष के रूप में एनएसी में या उसके बाहर भी आपने कभी हल्के से भी मेरी अभिव्यक्ति को नहीं रोका। इस कारण मैं इस विश्वास के साथ अपना कार्यकाल पूरा कर पाई कि मैंने समझौते या सार्वजनिक क्षेत्र में मेरी भूमिका पर नकारात्मक प्रभाव के बिना एनएसी को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 281 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जून 2013 से 28 जून 2013

जब अन्याय और अत्याचार चर्म पर पहुंचता है तो नक्सलवाद जन्मता है

• डॉक्टर पुरुषोतम मीना 'निरंकुश' •

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में अनेक निर्दोष लोगों सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के मारे जाने के बाद देशभर में एक बार फिर से नक्सलवाद को लेकर गरमागर्म चर्चा जारी है। यह अलग बात है कि नक्सलवादियों द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार निर्दोष लोगों की हत्याएं की जाती रही हैं, लेकिन इस बारे में छोटी मोटी खबर छपकर रह जाती है।

हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा किए गए कत्लेआम से सारे देश में दहशत का माहौल है, जिस पर समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में अनेक दृष्टिकोणों से चर्चा परिचर्चा और बहस मुबाहिसे लगातार जारी हैं। कोई नक्सलियों को उड़ा देने की बात कर रहा है तो कोई नक्सलवाद के लिए सरकार की कुनीतियों को जिम्मेदार बतला रहा है। इसके साथ साथ घटना के तीन दिन बाद इस बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता गुड्सा उसेंडी की ओर से मीडिया को जारी प्रेस नोट में स्वीकारा गया है कि 'दमन की नीतियों' को लागू करने के लिए हमने कांग्रेस के बड़े नेताओं को निशाने पर लिया है लेकिन साथ ही हमले में कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ताओं और गाड़ियों के ड्राइवरों व खलासियों के मारे जाने पर खेद भी जताया। माओवादी संगठन की ओर से जारी चार पेज के प्रेस नोट में कहा गया है, 'दमन की नीतियों को लागू करने में कांग्रेस और बीजेपी समान रूप से जिम्मेदार रही हैं और इसलिए कांग्रेस के बड़े नेताओं पर हमला किया।' कांग्रेस के बड़े नेताओं को मारे जाने को सही ठहराते हुए गुड्सा उसेंडी ने कहा, 'राज्य के गृहमंत्री रह चुके छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष नंदकुमार पटेल जनता पर दमनचक्र चलाने में आगे रहे थे। उन्हीं के समय में ही बस्तर इलाके में पहली बार अर्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई थी। यह भी किसी से छिपी हुई बात नहीं कि लंबे समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहकर गृह विभाग समेत अनेक अहम मंत्रालयों को संभालने वाले कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल भी आम जनता के दुश्मन हैं, जिन्होंने साम्राज्यवादियों, दलाल पूंजीपति और जमींदारों के वफादार प्रतिनिधि के रूप में शोषणकारी नीतियों को बनाने और लागू करने में सक्रिय भागीदारी निभाई।' उसेंडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा के बीच नक्सवादियों के मामले में तालमेल का उदाहरण सिर्फ इस बात से ही समझा जा सकता है कि मीडिया में कर्मा को रमन मंत्रिमंडल का 16वां मंत्री कहा जाने लगा था। सलवा जुडूम की चर्चा करते हुए प्रेस नोट में कहा गया है कि 'बस्तर में जो तबाही मची, क्रूरता बरती गई, इतिहास में ऐसे उदाहरण कम ही मिलेंगे।' प्रेस नोट में आरोप है कि कर्मा का परिवार भूस्वामी होने के साथ साथ आदिवासियों का अमानवीय शोषक और उत्पीड़क रहा है।

बयान में साफ शब्दों में आरोप लगाया गया है कि सलवा जुडूम के दौरान सैकड़ों महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसेंडी का कहना है कि इस कार्रवाई के जरिए एक हजार से ज्यादा आदिवासियों की मौत का बदला लिया गया है, जिनकी सलवा जुडूम के गुंडों और सरकारी सशस्त्र बलों के हाथों हत्या हुई थी। इस बयान ने प्रशासन और सरकार के साथ साथ भाजपा एवं कांग्रेसी राजनेताओं की मिलीभगत की हकीकत भी सामने ला दी है। संकेत बहुत साफ हैं कि यदि सरकार या प्रशासन इंसाफ के बजाय दमन की नीतियों को अपनाएंगे तो नतीजे ऐसे ही सामने आएंगे। इसलिए केवल नक्सलवादियों के मामले में ही नहीं, बल्कि हर एक क्षेत्र में सरकार और प्रशासन के लिए यह घटना एक सबक की तरह है। जिससे सीखना चाहिए कि लगातार अन्याय को सहना किसी भी समूह के लिए असंभव है। जब अन्याय और अत्याचार चर्म पर पहुंच जाते हैं तो फिर इस प्रकार के अमानवीय दृश्य नजर आते हैं।

हमें नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र के एक गांव में एक आततायी द्वारा कई दर्जन महिलाओं के साथ जबरन बलात्कार किया जाता रहा। पुलिस कुछ करने के बजाय बलात्कारी का समर्थन करती रही। अंततः एक दिन सारे गांव की महिलाओं ने मिलकर उस बलात्कारी को पीट पीट कर मार डाला। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन अनेक क्षेत्रों में सामने आती रहती हैं। इसी प्रकार की अनेकों घटनाओं को एक साथ मिला दिया जाए या बहुत सारे लोगों के सामूहिक और लंबे अन्याय और अत्याचार को एक करके देखें और उसके सामूहिक विरोध की तस्वीर बनाएं तो स्वतरू ही नक्सलवाद नजर आने लगेगा। दुःख तो ये है कि नक्सलवाद और नक्सलवादियों का क्रूर चेहरा तो मीडिया की आंखों से सबको नजर आता है, लेकिन दलितों, आदिवासियों, स्त्रियों और मजलूमों के साथ हजारों सालों से लगातार जारी शोषण और भेदभाव न तो मीडिया के लिए प्राथमिकता सूची में है और न ही आम जनता के लिए ऐसे विषय रोचक हैं। सनसनी पैदा करने वाली बातें और घटनाएं सबको चौंकाती हैं। इसलिए शहीद–ए–आजम भगत सिंह से लेकर आज के नक्सलवादी और आतंकवादी सनसनी पैदा करके अपनी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बड़ी घटनाओं को जन्म देते रहे हैं। ये अलग बात है कि आज के आतंकी और नक्सलवादी भगत सिंह जैसा देशभक्ति का जज्बा नहीं रखते। *(लेखक पाक्षिक पत्रिका प्रेस पालिका के संपादक हैं। लेख में दिए गए विचार उनके निजी हैं)* *(साभारः खबरकोश डॉट कॉम)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 281 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जून 2013 से 28 जून 2013

कुशल नेतृत्व की एक मिसाल कमला देवी

• बाबूलाल नागा •

अजमेर जिले की सिलोरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तिलोनिया में पांच दशक से एक ही परिवार का वर्चस्व रहा। पंचायत की कमान इसी परिवार के हाथों रही। जाट समुदाय से ताल्लुख रखने वाले इस परिवार से ही पंचायत चुनावों में उम्मीदवार खड़ा होता, जीतता और सरपंच का ताज पहनता। पंचायती राज में मिले आरक्षण की बदौलत एक दलित समुदाय की औरत कमला देवी ने इस वर्चस्व को तोड़ा और तिलोनिया ग्राम पंचायत की पहली दलित महिला सरपंच बनने का सौभाग्य पाया। आज पूरी पंचायत में अपने कुशल नेतृत्व क्षमता की एक मिसाल है सरपंच कमला देवी मेघवाल।

कमला देवी तिलोनिया ग्राम पंचायत की पहली बार सरपंच बनीं। इससे पहले वर्ष 2001 में कमला ने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीता था। कमला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 590 वोटों से जीत दर्ज की। उस समय कमला के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मालियों की ढाणी में सरकारी स्कूल खुलवाना। यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं थी। ढाणी के बच्चों को पढ़ने दो किलोमीटर दूर तिलोनिया गांव जाना पड़ता था। वर्ष 2002 में कमला की कोशिश की वजह से मालियों की ढाणी में प्राथमिक स्कूल स्वीकृत हुई लेकिन भवन नहीं। अब बिना भवन के बच्चे भला कहां पढ़े। कमला ने अपने घर से ही स्कूल चलाने का निर्णय लिया। लगातार 4 वर्ष तक उसने अपने घर से ही यह स्कूल चलाया। दो अध्यापक उसके घर बच्चों को पढ़ाने आते। इसी दौरान स्कूल भवन के लिए भी लगातार कोशिशें करती रही। 5 वर्ष बाद स्कूल को भवन मिल पाया। कमला कहती है, ''उस समय मैंने इस ढाणी में स्कूल खुलवाने का वादा किया था। स्कूल आरंभ करवा कर ही दम लिया। यदि मैं वायदा पूरा न कर पाती तो तिलोनिया की सरपंच के चुनाव में भी न खड़ी हो पाती।''

वर्ष 2010 में जब पंचायत चुनाव हुए, तो तिलोनिया सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घोषित की गई। पिछले 55 वर्षों में सामान्य या ओबीसी जाति का वर्चस्व था। कमला को पता था कि जाट बाहुल्य इस पंचायत में किसी दलित महिला का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। कमला ने गांव की महिलाओं के विश्वास के बूते सरपंच का चुनाव लड़ना तय कर लिया। कमला के सामने 4 उम्मीदवार थे। विपक्ष ने कमला देवी को हराने की तमाम कोशिशें कर लीं। महिलाओं का साथ मिलने पर कमला को पक्का विश्वास हो गया कि जीत उसी की होगी। कमला के चुनाव प्रचार में न दारू बंटी न पैसा। न ही गाड़ी घोड़ा चले। कमला सुबह शाम पैदल ही औरतों को साथ लेकर घर घर जाकर जनसंपर्क करती। गांव की औरतों ने तय कर लिया था कि वो 'ढोकल' को जीता कर रहेगी। (कमला को प्यार से गांव में 'ढोकल' के नाम से जाना जाता है) सशक्त जनसपंर्क और महिलाओं के मिले साथ से कमला की 1070 वोटों से जीत हुई। विपक्ष ने 5 बार वोटों की गिनती करवाई लेकिन कमला तो पहले ही जीत चुकी थी। सरपंच बनने के बाद कमला को कई कठोर फैसले लेने पड़े। उन्होंने अतिक्रमण हटवाने में अत्यधिक साहस का परिचय दिया। तिलोनिया गांव में करीब 100 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हो रहा था। कमला ने सबसे पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। अतिक्रमण हटाने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। न प्रशासन का साथ मिला न ही गांववालों का। कमला को लगातार धमकियां दी गईं लेकिन उन्होंने अतिक्रमण हटाकर ही दम लिया। आज इस जमीन पर चारों तरफ हरियाली लहलहा रही है। कमला ने इस जमीन पर मनरेगा के तहत वृक्षारोपण करवाया। एक टांका बनवाना और हैडपंप लगवाया। कमला चाहती है कि इस जमीन पर लड़कियों के लिए हॉस्टल बने या फिर यहां नर्सरी लगे। इसी तरह करीब 21 बीघा स्कूल खेल मैदान को भी अतिक्रमण से मुक्त करवाया। कमला का सपना यहां स्टेडियम बनाने का है। वे चाहती हैं उसकी ग्राम पंचायत अतिक्रमण मुक्त हो।

कमला शिक्षा की गुणवत्ता पर अधिक जोर देती है। वे चाहती हैं कि पंचायत की लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में पीछे न रहे, लिहाजा विधायक, सांसद और अन्य सरकारी प्रतिनिधियों से मिलकर तिलोनिया की सैकंडरी स्कूल को इसी साल क्रमोन्नत करवाकर सीनियर सैकंडरी करवाया है। कमला कहती है, ''गांव की लड़कियां कहती थी 'ढोकल मां' आप जब सरपंच बनोंगे तब ही स्कूल क्रमोन्नत हो पाएगा। आज सरपंच रहते मैंने यह स्कूल क्रमोन्नत करवा दिया है। अभी इस स्कूल में कला संकाय है। मैं चाहती हूं कि विज्ञान व कृषि संकाय भी हो। इसके लिए भी प्रयास कर रही हूं।'' कमला द्वारा किए जा रहे प्रयास ग्रामवासियों को खासे रास आ रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, मिड डे मील आदि पर पैनी नजरें रहती हैं। पंचायत में मूलभूत सेवाओं की क्रियांविति काफी बेहतर है। तिलोनिया में 4 आंगनबाड़ी केंद्र, 2 बालबाड़ी,

जारी

1 उपस्वास्थ्य केंद्र, 1 आयुर्वेदिक केंद्र, 8 सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय है। कमला ने मनरेगा में न्यारी नपती न्यारी रेट की व्यवस्था स्थापित की है। पूरी पंचायत में 1600 जॉबकॉर्ड हैं। इनमें से 1 हजार श्रमिकों ने मनरेगा में पूरे सौ दिन काम किया है। ग्रुप वाइज काम दिया जाता है। मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है। पिछले 3 वर्ष में मनरेगा के तहत 35 कार्य करवाए हैं। कमला मनरेगा कार्यस्थल पर स्वयं हाजरी लेती है। जातिवाद से परे हटकर कार्यस्थल पर एक ही मटकी से सभी को पानी पिलाने की व्यवस्था कर रखी है। जहां भी जाती है महिला श्रमिकों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाना नहीं भूलती। कमला हर गुरुवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर टीकाकरण पर निगरानी रखती है। 6 व 21 तारीख को वे आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करती हैं क्योंकि इस दिन पोषाहार आता है। कमला घर घर जाकर पेंशन, पालनहार योजना व विधवा पेंशन की जानकारी देती है। फॉर्म लेकर जाती है और भरवाती है। अब तक 175 विधवा महिलाओं की पेंशन, 40 पालनहार योजना, 20 विकलांग पेंशन से लोगों को जुड़वाया है। हाल ही लगे पेंशन महाअभियान शिविर में 363 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिलवाया है।

कमला अनपढ़ हैं। उसे न पढ़ पाने का मलाल आज भी है लेकिन पंचायत का कोई भी कागज बिना पढ़वाएं हस्ताक्षर नहीं करती। कमला मोबाइल व कंप्यूटर चलाना अच्छी तरह से जान गई है। पंचायत कार्यालय में कंप्यूटर पर काम करती है। पंचायत की हर गतिविधि, बैठक या कार्यक्रम का फोटो वे स्वयं अपने मोबाइल में लेती हैं। कमला ने अपने व्यवहार से गांव की महिलाओं के बीच अच्छी पैठ बना रखी है। वे अन्य महिलाओं से बहुत अलग नहीं हैं लेकिन जब बोलती है तो लोग खुद व खुद उन्हें सुनने लगते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनका भाषण सुनने गांव की औरतें दौड़ पड़ती हैं। कमला ने महिला सशक्तीकरण में काफी काम किए हैं। तिलोनिया ग्राम पंचायत कार्यालय में पहले महिलाओं का आना जाना नहीं रहता था लेकिन अब यहां अक्सर महिलाओं की भीड़ लगी रहती हैं। पहले ग्राम सभा में महिला वार्ड पंच घूंघट में अपने पतियों या रिश्तेदारों के साथ आती और कोने में बैठी रहती। कमला ने इसमें बदलाव किया। ग्राम सभा व पंचायत की मीटिंग में उन्होंने यह पक्का कर लिया कि चुनी गई महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति नहीं आएंगे। इसका असर देखने को मिला। आज पंचायत की बैठकों में महिलाएं अग्रिम पंक्ति में बैठती हैं जबकि पुरुष अंतिम पंक्ति में। हर बैठक में प्रस्ताव आते हैं। प्रस्तावों अनुसार ही अपनी पंचायत में काम करती है। तिलोनिया ग्राम पंचायत में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। पंचायत में खुलापन है। वहां का रिकॉर्ड कोई भी देख सकता है। पंचायत भवन, राजीव गांधी सेवा केंद्र व अन्य सार्वजनिक भवनों की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लगी हैं। आईटी सेंटर पर लोक सुनवाई अधिकार के तहत एकल खिड़की की स्थापना की है। कमला कहती है,''अगर जनता ने जिताया है तो जनता के प्रति जवाबदेह भी तो रहना होगा।''

कमला के पति के निधन को 11 वर्ष हो गए हैं। उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। अपने चार बच्चों को न केवल अच्छी परवरिश दी बल्कि अपने सरपंच के दायित्व को भी बखूबी निभाया। कमला ने अपने प्रभावी नेतृत्व को लेकर अपनी पंचायत में एक खास जगह बना रही हैं। संविधान संशोधनों से प्राप्त सत्ता के जरिए अपनी पंचायत की तस्वीर को उलटने का माद्दा रखती है। वे व्यवस्था को बदलने के सपने बुनती हैं। उन्हें सच करने की कोशिश में लगी रहती हैं। कमला ने उस धारणा को बदल दिया कि महिलाएं पंचायत चलाने में सक्षम नहीं हैं और उनके संवैधानिक अधिकारों का उपयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है। कमला ने इस परंपरागत धारणा को तोड़ने में सफलता हासिल की है। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 281 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जून 2013 से 28 जून 2013

अर्थशास्त्र की ऊंची मीनार से कुपोषण मिटाने की यह कवायद

• विविधा फीचर्स •

भारतीयों को विवाद–प्रिय माना जाता है और हमारी यह विवादप्रियता एक बार फिर से उठान पर है। गरीबी रेखा और गरीबों की तादाद के बारे में लंबे समय तक वाक्युद्ध में उलझे रहने के बाद, प्रसिद्ध अनिवासी भारतीय(एनआरआई) अर्थशास्त्रियों ने एक बार फिर से विवाद छेड़ा है कि भारत में कुपोषण का विस्तार कितना है। पहले योजना आयोग ने गरीबों की संख्या को कागजी तौर पर घटाने की कोशिश की थी और इस क्रम में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तथा आधिकारिक समितियों मिसाल के लिए एनसीइयूएस के इस आकलन से आंखें मूंद ली थीं कि 80 फीसदी भारतीय 20 रुपए रोज के खर्चे से भी कम में गुजारा करने को बाध्य हैं। और कुछ ऐसा ही तर्जे बयां है कोलंबिया में रहने वाले अर्थशास्त्री अरविंद पानगड़िया का जो बड़े मौलिक तरीके से भारत के सर पर लगा शर्म का बड़ा दाग (कुपोषण) पोंछ डालना चाहते हैं।

यह विवाद थमने के बजाय अभी और आगे बढ़ेगा क्योंकि पानगड़िया और उनके सह लेखक अर्थशास्त्री जगदीश भगवती ने अपनी नई किताब में भारत में भोजन का अभाव झेल रहे वयस्क लोगों की कुल तादाद के बारे में नए सिरे से प्रश्न खड़े किए हैं। भारत में भुखमरी या फिर खाद्य सुरक्षा का विधान बनाने की बात से जुड़ी बहस हो तो बड़े हाहाकारी आंकड़े सामने रखे जाते हैं। एक तो यह कि भारत में पांच साल से कम उम्र के 43 फीसदी बच्चे सामान्य से कम वजन के हैं और सामान्य से कम लंबाई के बच्चों की तादाद 48 फीसदी है। (ध्यान रहे ये आंकड़े 2005–06 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के हैं और भारत सरकार की तरफ से इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर कोई और आकलन अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया है)। टिप्पणीकारों का कहना है कि कुपोषण का विस्तार बतलाने वाले ये आंकड़े संख्या के लिहाज से अब कम होने चाहिए लेकिन इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी है भले ही देश लगातार आर्थिक तरक्की की राह पर हो। पानगड़िया ने अपनी किताब के प्रचार के सिलसिले में कई साक्षात्कारों में यह बात उठाई है कि यह संख्या समस्या को अतिशयोक्ति की हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। कारण कि भारत के बच्चों की लंबाई और वजन मापते समय मानदंड वही अपनाया जाता है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2006 में तय किया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए मानदंड से माप कम आए तो इसे पोषण की कमी के रुप में दर्ज किया जाता है, और इस क्रम में आणुवांशिक विभिन्नता की उपेक्षा की जाती है।

पानगड़िया का तर्क है कि उप सहारीय अफ्रीकी देशों की तुलना में भारत में बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर कम है। साथ ही इन देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय और आयु संभाविता भी ज्यादा है फिर ऐसा कैसे संभव है कि इन देशों की तुलना में भारत में बाल कुपोषण की दर ज्यादा हो। इसके अतिरिक्त पानगडिया के अनुसार यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंड को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीयपरिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों को देखें तो निकल कर आएगा कि भारत के सर्वाधिक अमीर परिवारों में भी 15 फीसदी बच्चे सामान्य से कम लंबाई के हैं और इससे संकेत मिलता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानदंड भारत में कुपोषण का विस्तार जानने के लिहाज से खास मददगार नहीं। पानगड़िया के तर्क का जवाब कई लोगों ने दिया है जिसमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी शामिल हैं। उनका कहना है कि आणुवांशिक भिन्नता के तर्क ने उच्चतर शोध अध्ययनों में अपनी साख लगातार खोयी है। अमर्त्य सेन का कहना है कि पानगड़िया भारत और अफ्रीका के आंकड़ों की तुलना करते समय उसका कुपाठ कर रहे हैं।

पानगड़िया के तर्क से जिन लोगों को रोष आया है उसमें नव उदारवाद विरोधी संस्था संहति से जुड़े दीपांकर बसु और अमित बसोले का नाम शामिल है। बसोले और दीपांकर बसु ने पानगड़िया के तर्क में अवधारणागत कई दोष गिनाए हैं। इन विद्वानों के अनुसार उम्र के अनुसार लंबाई और वजन कुपोषण के मानदंड माने जाते हैं और इस मामले में कुपोषण का कारण माना जाता है भोजन में ऊर्जा और प्रोटीन की कमी को। जन्म के समय आयु संभाविता, शिशु मृत्यु दर और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर किसी देश की आबादी के सेहतमंद होने के बड़े मापक हैं और ये पोषण से तो प्रभावित होते ही हैं, इन पर अन्य बातों का भी असर पड़ता है, जैसे– सामान्य माने जाने वाले संक्रमणों को रोकने के लिए किया गया टीकाकरण, संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच (मिसाल के लिए प्रसव के समय), साफ सफाई का स्तर, जानलेवा रोग जैसे एड्स का विस्तार और सामाजिक आर्थिक संघर्ष तथा हिंसा का स्तर। इस तरह दो देशों की तुलना में बहुत संभव है कि एक देश में बच्चों के पोषण का स्तर ऊंचा या फिर दूसरे देश के बच्चों के पोषण के समान ही हो लेकिन आयु संभाविता, शिशु मृत्यु दर या फिर बाल मृत्यु दर के मामले

जारी

में वह देश तुलनात्मक रूप से नीचे हो। पानगड़िया के तर्क का बिंदुवार खंडन करते हुए ट्रांसफार्म न्यूट्रीशन के स्टुअर्ट गिलेस्पी का कहना है कि पानगड़िया भारत और अफ्रीका के बीच के अंतर को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं और बच्चों का वजन कहीं भी औसत से कम ज्यादा मात्रा में मिले तो इसका कारण आणुवांशिक नहीं माना जा सकता। ट्रांसफार्म न्यूट्रीशन नीति निर्माताओं, नागरिक संगठनों और व्यवसाय से जुड़े नेतृववर्ग के साथ मिलकर कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए काम करता है।

दो जून की रोटी जुटाने के चक्कर में भारत में जिन लोगों को रोजाना अमानवीय अनुभवों से गुजरना पड़ता है। उनके दुःख दर्द से, आंकड़ों और विशेषज्ञ वचन के ऊपर बाल की खाल निकालने वाली यह कवायद, एक सीमा के बाद भटकाने और बरगलाने वाली बन जाती है। उत्तरप्रदेश के मुसहर समुदाय पर केंद्रित अपने एक हालिया नृतत्वशास्त्रीय अध्ययन में शिल्पी शिखा सिंह ने बताया है कि शोध अध्ययन के दौरान जिन परिवारों से उनकी भेंट हुई वे भोजन की कमी के शिकार थे लेकिन इस कमी को भुखमरी ना बताकर उपवास करना कह रहे थे। भुखमरी से निपटने का यही उनके पास उपचार था। *(साभारः आईएमफॉर चेंज डॉट ओआरजी)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 281 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जून 2013 से 28 जून 2013

चुनौतियों के साथ पढ़ाई व ग्राम विकास

• लखन सालवी •

दहलीज को पार करना महिलाओं के लिए बड़ी चुनौती थी खासकर गांवों की महिलाओं के लिए। 1993 में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, उससे पहले तो समाज ने उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि से वंचित ही रखा। सरकार ने पिछले 2 दशक में महिला सशक्तीकरण को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए हुए अभी तीन वर्ष ही हुए हैं, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण वास्तविक रूप में दिखने लगा है। वंचित, दलित व आदिवासी महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिला है। कभी हस्ताक्षर करते कांपते हुए हाथ अब फर्राटे से हस्ताक्षर कर रहे हैं। उनमें आत्मविश्वास का जबरदस्त विकास हुआ है। कभी घूंघट में मुंह छिपाए हुए कोने में बैठी रहने वाली महिला पंच सरपंचों ने घूंघट का त्याग कर दिया है। सूचना क्रांति के इस युग में विभिन्न तरीकों से जानकारियां प्राप्त कर पंचायतीराज में महिला जनप्रतिनिधि पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए एक कदम आगे चल कर सर्वांगीण विकास कर रही हैं।

पंचायतीराज के चुनाव आए तो सिरोही जिले की आबू रोड पंचायत समिति की क्यारिया ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 8 के जागरुक लोग वार्ड पंच की उम्मीदवारी के लिए शिक्षित महिला ढूंढने लगे। दरअसल वार्ड पंच की सीट महिला आरक्षित थी। इस वार्ड में आदिवासी समुदाय के परिवारों की बाहुलता है। सभी परिवारों में थाह ली पर उम्र के तीन दशक पार कर चुकी कोई शिक्षित महिला नहीं मिली। तब लोगों की नजर नवली पर पड़ी। नवली 11वीं की पढ़ाई कर रही थी। लोगों ने उसके समक्ष वार्ड पंच का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा। नवली ने हामी भर ली, दूसरी तरफ उसके परिजन भी उसके निर्णय से खुश थे। वार्ड पंच प्रत्याशी तय करने में लोगों को इतनी मशक्कत करनी पड़ी। वार्ड संख्या 8 के लोगों ने बताया कि कई वार्ड पंच बन गए और सरपंच भी लेकिन हमारे वार्ड में अपेक्षित विकास नहीं हुआ था। उनका मानना है कि अशिक्षित व विकास योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण कोई भी वार्ड पंच उनके वार्ड में विकास नहीं करवा सका। वे बताते हैं कि यही कारण था कि हमने शिक्षित महिला को चुनाव लड़वाने की ठानी। खैर नवली के चुनाव लड़ने के फैसले से उन वार्डवासियों का आधा कार्य संपन्न हो गया। चुनाव का समय नजदीक आया तो वार्ड पंच का चुनाव लड़ने के लिए नवली गरासिया ने आवेदन प्रस्तुत किया, उसके साथ उसके वार्ड की 2 अन्य महिलाओं ने भी आवेदन किए लेकिन वार्ड के लोगों ने तो ठान ही लिया था कि शिक्षित महिला को ही चुनाव जिताना है। बस उन्होंने शिक्षित नवली गरासिया को चुनाव जीता कर ही दम लिया।

नवली चुनाव तो जीत गई लेकिन उसे ग्राम पंचायत, विकास कार्यों एवं पंचायतीराज की नाममात्र भी जानकारी नहीं थी। ऐसे में वार्ड का विकास करवाना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। नवली ने बताया कि वार्ड पंच बनने के बाद ग्राम पंचायत में गई तो असहज महसूस किया। वो बताती है कि जानकारियों का न होना मन को कमजोर बनाता है। मैं ग्राम पंचायत में जाती जरूर थी लेकिन एक अन्य महिला वार्ड पंच के पास बैठ जाती। वो अशिक्षित वार्ड पंच थी और मैं शिक्षित वार्ड पंच लेकिन दोनों में ही जानकारियों का अभाव था और बेहद झिझक थी। नवली वार्ड पंच क्या बनी, उसकी पढ़ाई भी छूट गई। हालांकि वह पढ़ाई जारी रख सकती थी लेकिन अब पढ़ाई से ज्यादा उसे पंचायतीराज को जानने की इच्छा बढ़ गई थी। इसलिए वह ग्राम पंचायत, वार्ड, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र आदि के ही चक्कर लगाती रहती। उसके नियमित निरीक्षण के कारण कुछ सुधार तो हुए लेकिन नवली अपने वार्ड की मूल समस्याओं का निपटारा करना चाहती थी। ग्राम पंचायत की बैठकों में पुरुष वार्ड पंचों की भांति उसने भी अपने वार्ड के मुद्दे उठाने आरंभ कर दिए। उसने अपने वार्ड के विकास के लिए प्रस्ताव भी लिखवाए। वार्ड पंच नवली महिलाओं व बच्चों की समस्याओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रही और लगातार प्रयास कर उनकी समस्याओं के समाधान भी करवाए।

कार्यकाल का पहला साल तो ऐसे ही बीत गया। नवली ने एक साल की समीक्षा की तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। एक साल बीत गया था लेकिन नवली अपने वार्ड के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाई थी। इसी समय उसकी मुलाकात हुई क्षेत्र में कार्य कर रहे एक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं से। यह सामाजिक संगठन आमजन में जागृति लाने, सरकार की विकास योजनाओं की जानकारियां जन जन तक पहुंचाने एवं वंचितों को ऊपर उठाने के लिए कार्य कर रहा है। जनचेतना संस्था नामक इस संगठन द्वारा समय समय पर विभिन्न मुद्दों व विषयों को लेकर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। नवली गरासिया व कई महिलाओं ने इस संगठन से जुड़कर जानकारियां प्राप्त की। वह जानकार हुई और अब अपने अधिकारों को उपयोग करते हुए ग्राम विकास करवा रही है। वार्ड पंच ने वार्ड में जाकर महिलाओं के साथ बैठक की तो पता चला कि मनरेगा

जारी

के तहत वार्ड संख्या 8 में कोई काम नहीं करवाया गया था और ना ही उसके वार्ड की महिलाओं ने मनरेगा में कार्य किया था। उसने कार्यशालाओं में मिली जानकारियों का उपयोग करना आरंभ किया और ग्राम सभा में रेडवाकलां में नाड़ी निर्माण करवाने का प्रस्ताव लिखवाया। बाद में नाड़ी निर्माण की स्वीकृति आ गई और वार्ड की 150 महिलाओं को रोजगार मिला। महिला मजदूरों का कहना है कि पूर्व में अन्य वार्डों में ही मनरेगा के काम हुए थे। दूर होने के कारण वार्ड संख्या 8 की महिलाओं ने मनरेगा के लिए आवेदन ही नहीं किए। उन्होंने बताया कि अगर हमारे वार्ड क्षेत्र में मनरेगा का कार्य स्वीकृत नहीं होता तो हम शायद ही कभी मनरेगा में काम करने जा पाती। महिलाओं के नाम पर पट्टे बनवाने, इंदिरा आवास योजना की किस्त के रुपए महिलाओं के नाम पर जारी करवाने एवं हैंडपंप लगवाने के कार्यों से नवली गरासिया वार्ड संख्या 8 ही नहीं अपितु पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र की महिलाओं की चहेती बन गई। नवली ने अपने समुदाय की महिलाओं की दयनीय दशा को बदलने की दिशा में महत्वूर्ण कार्य किए हैं। वह बताती है कि मकानों के पट्टे पुरुषों के नाम पर जारी किए जाते थे। इंदिरा आवास योजना के तहत मकान निर्माण की राशि भी परिवार के मुखिया पुरुष के नाम पर ही जारी की जाती थी। अधिकतर मामलों में पुरुष इंदिरा आवास की किस्त के रुपयों को अन्य कार्यों में खर्च कर देते हैं, ऐसे में ग्राम पंचायत के दबाव के कारण घटिया सामग्री का उपयोग कर मकान बना लिया जाता है।

कई ऐसे मामले भी आते हैं कि पत्नी के जीवित होने पर भी पति दूसरी पत्नी ले आते है। पहली पत्नी को जबरन घर से निकाल दिया जाता है। ऐसे में मजबूरीवश उस महिला को या तो अपने मायके जाना पड़ता है या अन्य पुरुष से शादी करनी पड़ती है और ऐसा उसके साथ कई बार हो जाता है। महिलाओं को सम्मान मिले और उनकी सुरक्षा हो, इस बारे में नवली ने गहराई से सोचा और ग्राम पंचायत में प्रस्ताव रखा कि मकानों के पट्टे महिलाओं के नाम बनाए जावे और इंदिरा आवास योजना की राशि भी महिला के नाम ही जारी की जाए ताकि पुरुष द्वारा महिला को घर से बाहर निकाल देने और दूसरी पत्नी ले आने पर पहली पत्नी अधिकार एवं सम्मान सहित अपने घर में रह सके। हालांकि ग्राम पंचायत के पुरुष वार्ड पंचों ने उसके प्रस्तावों का विरोध किया लेकिन नवली ने अपने प्रस्ताव लिखवाकर ही दम लिया। नवली का मानना है कि ऐसा करने से इस प्रकार के मामलों में कमी आएगी। महिला सशक्तीकरण के लिए तो नवली गरासिया ने बहुत कार्य किए। उसने सिर्फ ग्राम पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को ही उनके अधिकार दिलवाने में मदद नहीं कि बल्कि महिला वार्ड पंचों को भी उनके अधिकार दिलवाने के लिए पैरवी की। ग्राम पंचायत में कुल 11 वार्ड है। 6 महिला वार्ड पंच है। नवली ने बताया कि वार्ड पंच बनने के बाद जब वह ग्राम सभा में गई तो देखा कि महिला वार्ड पंच तो एक तरफ घूंघट ताने बैठी रहती थी और वार्ड पंच पति ग्राम सभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर रहे थे। यहां तक कि सरपंच संतोष देवी गरासिया की बजाए सरपंच पति ने ग्राम सभा की बागडोर अपने हाथ संभाल रखी थी। एक साल तो ऐसे ही चलता रहा लेकिन सामाजिक संगठन से जुड़कर जागरूक हुई तो नवली ने ग्राम सभा में सरपंच पति व वार्ड पंच पतियों का विरोध करना आरंभ कर दिया। नतीजा सरपंच पति व वार्ड पंच पतियों को ग्राम सभा से अपना हस्तक्षेप रोकना पड़ा। वार्ड की महिलाओं ने बताया कि ''हमें पानी की समस्या से जुझना पड़ रहा था। हमें दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा था। हमने कई बार इस समस्या से वार्ड पंच (नवली) को अवगत कराया। नवली ने कैसे किया यह तो हमें नहीं पता लेकिन उसने हमारे वार्ड में हैंडपंप खुदवा दिया। अब हमारे पानी की समस्या नहीं है। नवली ने बताया कि उसने हैंडपंप लगवाने के लिए ग्राम पंचायत की बैठकों में प्रस्ताव लिखवाए, साथ ही पंचायत समिति के अधिकारी को भी बताया। वार्ड में कई महीनों से खराब पड़े ट्यूबवेल को भी ठीक कराया, जिससे पेयजलापूर्ति की समस्या से वार्डवासियों को निदान मिल गया। आजकल वाटरलेवल नीचे चले जाने से पुनः पेयजल की समस्या आन खड़ी हुई है। उसने बताया कि मैंने ग्राम पंचायत में वार्डवासियों को पेयजल मुहैया कराने के लिए टेंकरों द्वारा जलापूर्ति करवाने का प्रस्ताव लिखवाया है। नवली बताती है कि वार्ड में जाने का कच्चा रास्ता है, जो इतना उबड़ खाबड है कि सरकारी अधिकारी तो वार्ड में आने का नाम ही नहीं लेते है। सरकार की चिकित्सा सेवा मुहैया कराने वाली 108 एम्बुलेंस भी वार्ड में नहीं आ पाती है। मैं ग्रेवल सड़क बनवाकर इस गंभीर समस्या से वार्डवासियों को निजात दिलवाना चाहती हूं। ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव लिखवाया है लेकिन जिला परिषद से अभी तक स्वीकृति नहीं आई है।

शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझने वाली नवली ने सबसे पहले तो आदिवासी लड़के लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए घर घर गई, महिलाओं को समझाया, पुरुषों को समझाया और लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने में भागीदारी निभाई। जब स्कूल में बच्चों का नामांकन बढ़ा तो प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करवाकर उच्च प्राथमिक विद्यालय करवाया ताकि वार्ड व गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए अंयत्र नहीं जाना पड़े। बच्चे विद्यालय तो जाने लगे लेकिन बारिश के दिनों में बच्चों के लिए पानी का एक नाला रोड़ा बन गया। वार्ड के बच्चे बारिश के दिनों में स्कूल नहीं जा पा रहे थे। दरअसल वार्ड और स्कूल के बीच एक पानी का नाला है जिसमें बारिश का पानी तेज बहाव से बहता है। नवली ने नाले पर पक्की पुलिया बनवाने का प्रस्ताव लिखवाया। उसने बताया कि पुलिया का निर्माण हो चुका है और अब बच्चों को स्कूल जाने में कोई परेशानी नहीं है। छोटे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए भी सफल प्रयास किए गए। राज्य सरकार

जारी

द्वारा आदिवासी वर्ग के छोटे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए मां बाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं। इन केंद्रों में बच्चों को न केवल शिक्षा प्रदान की जाती है बल्कि उन्हें पोषण भी दिया जाता है। बच्चों को पाठ्य सामग्री से लेकर, कपड़े, स्वेटर, टाई, बेल्ट, जूते, मौजे तथा सुबह का नाश्ता व मध्याहन भोजन निःशुल्क दिया जाता है। यहीं नहीं बच्चों को पढ़ाने एवं नाश्ता व मध्याहन भोजन बनाने के लिए भी आदिवासी वर्ग के ही महिला, पुरुष को नियुक्त किया जाता है। जानकारी के अनुसार जिस बस्ती या वार्ड में 30 छोटे बच्चों का नामांकन हो जाता है वहीं मां बाड़ी केंद्र खोला जाता सकता है। वार्ड पंच नवली गरासिया ने घर घर जाकर सर्वे किया। जिसमें पाया गया कि वार्ड संख्या 8 में छोटे बच्चों की संख्या 30 से अधिक थी जबकि वहां मां बाड़ी केंद्र ही चल रहा था। तब उसने प्रशासन से मां बाड़ी खोलने की पैरवी की। उसके अथक प्रयासों से वार्ड में बंद पड़े मां बाड़ी केंद्र को शुरू किया गया। उसके इस प्रयास से न केवल बच्चे शिक्षा से जुड़ पाए अपितु आदिवासी समुदाय के 1 युवा व 2 महिलाओं को रोजगार भी मिला। यही नहीं नवली ने महिलाओं को भी शिक्षित किया। उसने अपने घर पर चिमनी के उजाले में महिलाओं का पढ़ाना आरंभ किया और कई महिलाओं का साक्षर बना दिया।

नवली स्नातक की डिग्री प्राप्त करना चाहती है। सरपंच बनने के बाद एक साल तो उसने अपनी पढ़ाई ड्राप कर दी लेकिन उसके बाद उसने ओपन स्टेट से 12वीं की पढ़ाई की है। वो पढ़ती भी है और वार्ड पंच का दायित्व निभाती है। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की आजादी एवं उनका प्रतिनिधित्व पुरुषों को रास नहीं आ रहा है। इसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं। नवली की बढ़ती प्रसिद्धी से भी कई लोगों को ईर्ष्या है। एक सिरफिरे ने तो नवली के मोबाइल फोन पर कॉल किया और अश्लील बातें कहीं, यही नहीं पुलिस में शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। नवली भी कहां डरने वाली थी। वह उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाने गई लेकिन थाने वालों ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तब वह पुलिस अधीक्षक के पास गई और थानेदार व अश्लील कॉल करने वाले अंजान व्यक्ति की शिकायत की। पुलिस अधीक्षक के आदेशों के बाद थाने में एफआईआर दर्ज हुई और अश्लील कॉल करने वाले को गिरफ्तार किया गया। साथ ही वार्ड पंच नवली के जानमाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली।

आदिवासी सरपंच सरमी देवी गरासिया हो या वार्डपंच नवली बाई गरासिया। सरपंच यशोदा सहरिया हो या वार्ड पंच मांगी देवी सहरिया। दलित रुकमणी देवी सालवी हो या हो गीता देवी रेगर। मनप्रीत कौर, राखी पालीवाल, वर्धनी पुरोहित व कमलेश मेहता जैसी राजस्थान की सैकड़ों महिला पंच–सरपंचों के हौसलों व उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखकर लगता है कि 73वें संविधान संशोधन की भावना पूरी हो रही है। पहली पीढ़ी की महिला जनप्रतिनिधि घूंघट में थी आज एक भी घूंघट में नहीं है। अर्थात् कोई माने या ना माने तृणमूल स्तर पर बदलाव आ ही गया है। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 281 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जून 2013 से 28 जून 2013

जयपुर में राजस्थान लघु पत्रिका सम्मेलन

• चेतना सिंह व लवलीन शर्मा •

लघु पत्रिकाएं जन आंदोलन का आईना हैं। ये धीरे ही सही लेकिन समाज में परिवर्तन की आवाज उठाती हैं। उनका एक संयुक्त अभियान आज समय की मांग है। जयपुर में राजस्थान लघु पत्रिका सम्मेलन में ये बात प्रमुखता से उभरी। राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर एवं समांतर संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 25 मई 2013 को राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर जयपुर स्थित देराश्री शिक्षक सदन सभागार में एक दिवसीय लघु पत्रिका सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ जिसमें राजस्थान से निकलने वाली 60 लघु पत्रिकाओं के संपादकों एवं सहयोगियों सहित अनेक साहित्यकारों, प्रकाशकों एवं विद्वानों ने भाग लिया।

सम्मेलन का प्रारंभ समांतर संस्थान के सचिव एवं साहित्यकार राजाराम भादू के आयोजकीय वक्तव्य से हुआ। भादू ने लघु पत्रिकाओं के सम्मेलन की अनिवार्यता को आज के संदर्भ में रेखांकित करते हुए लघु पत्रिकाओं के इतिहास, स्वरूप एवं दृष्टि पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अब से करीबन डेढ़ दशक पहले राज्य के लघु पत्रिका संपादकों का एक सम्मेलन जयपुर में प्रगतिशील लेखक संघ के बैनर तले हुआ था। इसके बाद जयपुर में ही 2001 में चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जो ऐतिहासिक था। समांतर सबाल्टर्न सांस्कृतिक समूहों के लिए काम करता है। लघु पत्रिकाएं भी इन्हीं समूहों की आवाज हैं। इसलिए हम इस सम्मेलन को बहुत प्रासंगिक पाते हैं। इस दौरान सम्मेलन परिसर में लगाई गई 'लघु पत्रिका प्रदर्शनी' का उद्घाटन वरिष्ठ पत्रकार मोहन लाल मधुकर ने किया। यह एक दिवसीय लघु पत्रिका सम्मेलन दो सत्रों में विभाजित था। प्रथम सत्र ''राजस्थान की लघु पत्रिकाएं–परिप्रेक्ष्य और परिदृश्य'' विषय पर केंद्रित रहा जिसकी अध्यक्षता राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष एवं मधुमती के संपादक वेदव्यास ने की। मुख्य वक्ता 'समायांतर' पत्रिका दिल्ली के संपादक पंकज बिष्ट थे। इस सत्र में सुभाष सिंगाठिया द्वारा संपादित साहित्यिक पाक्षिक 'पूर्वकथन' का लोकार्पण किया गया। सत्र के आरंभ में समांतर की चेयर पर्सन प्रोफेसर आशा कौशिक ने सम्मेलन के सभी सहभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज हम ज्ञानवान समाज बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लघु पत्रिकाएं अनुशासनीय एप्रोच से संस्कृति और साहित्य को विस्तार देने में अहम् भूमिका निभा सकती हैं।

आभार वक्तव्य देते हुए हरिराम मीणा ने राजस्थान की लघु पत्रिकाओं का कालक्रमानुसार विश्लेषण करते हुए कहा कि यह दौर राजस्थान में साहित्यिक पत्रकारिता का स्वर्णयुग है। आज की लघु पत्रिकाएं समस्याओं से सीधे मुठभेड़ कर रही हैं तथा वर्चस्व के विरोध में सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा की पूंजीवादी ताकतें आज समस्त सामाजिक स्रोतों एवं प्राकृतिक संसाधनों पर काबिज हैं। लघु पत्रिकाएं हाशिए पर पड़े आदिवासियों एवं वंचित वर्ग की आवाज को बुलंद कर रही हैं। इस समय अमेरिका व यूरोप आर्थिक मंदी के शिकार हैं। जब आर्थिक ध्रुव बदलता है तो साहित्य व संस्कृति का ध्रुव भी बदलता है। विमर्श में अभिव्यक्ति पत्रिका, कोटा के संपादक महेंद्र नेह ने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि आज जन आंदोलनों की धारा मंद पड़ने से प्रतिरोध की धार भी कुंद हो गई है तथा वामपंथी भी दक्षिणपंथी की तरह दिखने लगे हैं। इन दिनों आर्थिक ध्रुव बदलने के साथ साथ सांस्कृतिक साहित्यिक ध्रुव भी बदलते जा रहे हैं। ऐसे बदलते परिवेश में लघु पत्रिकाएं नव जागरण का शंखनाद कर रही हैं। आम विडंबना है कि वर्ग संघर्ष को भुलाकर वर्ण संघर्ष बना डाला गया है। यह साम्राज्यवादी ताकतों की साजिश है। लेखकों को आक्रामक प्रतिरोध का रुख अपनाना चाहिए। आज लघु पत्रिकाओं को बदलते हुए परिवेश में भयभीत होने के स्थान पर एक नव जागरण को जन्म देना चाहिए। अनुकृति, जयपुर की संपादक डॉक्टर जयश्री शर्मा ने कहा कि लघु पत्रिकाएं भारत के कोने कोने से निकलकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। इस कलम की ताकत के पीछे लघु पत्रिकाओं के संपादकों एवं सहयोगियों का जुनून ही सामने आता है कि वे अपना सब कुछ लगाकर लघु पत्रिकाएं निकाल रहे हैं। लेखन के माध्यम से सामाजिक सोच को बदलने की कोशिश में लगी लघु पत्रिकाएं समाज में जागृति पैदा करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इस सम्मेलन ने सभी संपादकों को एक साथ मिलने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका दिया है।

समर्था, जयपुर की संपादक नीलिमा टिक्कू ने लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली विषयवस्तु पर भी ध्यान देने की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद संपादक के समक्ष हौसला व उत्साह उसे प्रेरणा देते रहते हैं। संपादकों को आत्मश्लाघा से दूर रह कर नई पीढ़ी को जोड़ने के उपाय भी सोचने चाहिए ताकि पत्रिका युवाओं तक पहुंच कर विचार को आगे बढ़ा सकें। लघु पत्रिकाओं के संपादक जमीन से जुड़े होते हैं। सीमित संसाधनों से लघु पत्रिका निकालना काफी मुश्किल काम होता है।

जारी

मुख्य वक्ता के रूप में समयांतर, दिल्ली के संपादक पंकज बिष्ट ने कहा, आपको मालूम है कि मारुति में मजदूरों को कंपनी से काफी रोष है। पिछले दिनों उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन वो किसी अखबार की खबर नहीं बन पाई। वहीं अब जनांदोलनों को भी ज्यादा तजरीह नहीं दी जाती। लघु पत्रिका का दायरा बेशक छोटा है लेकिन अगर वो अपने उद्देश्य की कसौटी पर खरी उतरें तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी लेकिन समस्या यह है कि बहुत सी पत्रिकाएं सरकारी अनुदान के भरोसे चल रही हैं, जबकि इन लघु पत्रिकाओं ने ही आजादी से पहले महती भूमिका निभाई थी। लघु पत्रिकाओं की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, आज 40–50 करोड़ हिंदी भाषी समाज की बड़ी बैल्ट में लघु पत्रिकाओं के माध्यम से काम करने की चुनौतियां भी बड़ी हैं। पत्रिकाएं लघु हैं किंतु उनके आदर्श बड़े हैं। वे अपनी प्रतिबद्धता के साथ नई परंपराएं बनाने तथा उन्हें आगे ले जाने की कोशिश करती हैं। चीजें तभी बदलती हैं जब प्रतिरोध मुखर होता है तथा बड़े या पूंजी संस्थानों को चुनौती दी जाती है। हमको इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि हमारा अस्तित्व छोटा है तथा कम लोगों तक पत्रिका पहुंच रही है। उन्होंने लघु पत्रिका निकालने में आने वाली प्रकाशन एवं वितरण संबंधी समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने यह स्वीकार किया कि पत्रिका निकालना सबका मौलिक अधिकार है किंतु पत्रिका निकालने से पहले कुछ आधारभूत बातों की जानकारी होना जरूरी है, तभी बेहतर तरीके से वर्चस्ववादी ताकतों का सामना किया जा सकेगा। असल में लघु पत्रिका का मूलभूत तात्पर्य यह है कि इसमें दो गुणों का होना आवश्यक है। पहली कि यह किसी पूंजी घराने या संस्थान से नहीं निकलती हो। दूसरी इसका क्षेत्र कितना है। लघु पत्रिका का सबसे बड़ा मापदंड यह है कि वह कितनी प्रभावी है। हमें यह देखना चाहिए कि हम नए विचारों व नई प्रवृत्तियों को अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं।

अध्यक्षीय उद्बोधन में वेदव्यास ने कहा कि अब लघु पत्रिकाओं को भी अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात जो देखने में आ रही वह यह कि कमोबेश हर पत्रिका का कंटेंट लगभग समान ही होता है। साथ ही इन पत्रिकाओं के संपादकों में संवाद भी नहीं होता। हम लोगों को अब मिलकर ही सोचना होगा कि कैसे और किस तरह अपने मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। लघु पत्रिकाओं की अपनी विशिष्टता होनी चाहिए। उन्हें अपना अलग चरित्र, उद्देश्य दृष्टि तथा नजरिया बनाना चाहिए। लघु पत्रिका अभियान की समझ के बिना लघु पत्रिका निकालना व्यर्थ है। आज पूंजीवाद मानव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के स्थान को कम कर रहा है, ऐसे में लघु पत्रिका के संपादकों का आपसी संवाद बनाएं रखना जरूरी है। संस्थाओं को आपस में संवादरत् रहकर साझा कार्य करना चाहिए। यदि हम सरकार को साधनों का विकल्प मान लेंगे तो हम समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे। आज संपादकों, प्रकाशकों, लेखकों का नेटवर्क बनाया जाना जरूरी है वरना हर व्यक्ति अपना निजी इतिहास छोड़कर चला जाएगा। राजस्थान में साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रिकाओं के बीच कोई सक्रिय भागीदारी नहीं है। इन परिस्थितियों में हमें चाहिए कि हम मिलकर कोशिश करें कि इस नेटवर्किंग को किस प्रकार प्रभावी बना सकते हैं और अपने समय की चुनौतियां का कैसे सामना कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्थान में साहित्यिक संवाद करते रहिए, परिदृश्य अवश्य बदलेगा।

दूसरा सत्र 'लघु पत्रिकाएं: भविष्य के कार्यभार' विषय पर केंद्रित रहा जिसकी अध्यक्षता 'अक्सर' के प्रधान संपादक एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने की। मुख्य वक्ता 'उद्भावना', दिल्ली के संपादक अजय कुमार, एक और अंतरीप, जयपुर के प्रधान संपादक प्रेमकृष्ण शर्मा एवं 'राजस्थली' के संपादक तथा राजस्थानी भाषा, साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर के अध्यक्ष श्याम महर्षि थे। आभार वक्तव्य देते हुए बोधि प्रकाशन के निदेशक संदीप मायामृग ने कहा कि जो वर्तमान में होना चाहिए लेकिन नहीं है, वही भविष्य का कार्यभार है। वर्तमान की कोई भी योजना भविष्य को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। लघु पत्रिकाएं किसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए निकाली जा रही हैं। उनको पहली लड़ाई अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़नी पड़ती है जिसमें अर्थ की कमी, पाठकों की संख्या में सीमितता एवं संपादकों के पूर्वाग्रह होते हैं। दूसरी लड़ाई बाहरी ताकतों से है। कुछ समय पहले तक जो ताकतें दबी छुपी हुई थीं उनका चेहरा आज खुलकर सामने आ गया है। किंतु लघु पत्रिकाओं का चेहरा उतना खुलकर सामने नहीं आ पाया है। लघु पत्रिकाएं दबे छुपे विरोध में ज्यादा सुरक्षित रहती हैं किंतु वे इसके लिए बनी नहीं होती हैं। इस अवसर पर मायामृग की तीन कृतियों– 'जमा हुआ हरापन' (कविताएं), 'एक चुप्पे शख्स की डायरी (गद्य कविताएं) और 'कात रे मन कात' (स्वंतत्र गद्य) का लोकार्पण किया गया।

मुख्य वक्ता 'उद्भावना' के संपादक अजय कुमार का कहना था कि लघु पत्रिकाओं की ताकत तभी बढ़ेगी जब वाम आंदोलन मजबूत होगा। जो प्रचार साम्राज्यवादी मीडिया कर रहा है, उस सच को सामने लाना ही लघु पत्रिकाओं का उद्देश्य होना चाहिए। साम्राज्यवादी मीडिया वही दिखाता है जिससे पूंजीवाद के ऊपर मानवतावादी होने का मुलम्मा चढ़ा रहे। इस झूठ को उजागर करना ही लघु पत्रिकाओं का दायित्व होना चाहिए। नए साम्राज्यवाद को बेनकाब करना लघु पत्रिकाओं का उद्देश्य होना चाहिए और समाज की जो असली तस्वीर है उसे समाज के सामने लाने में लघु पत्रिकाओं को अपना योगदान करना चाहिए। 'एक और अंतरीप' के प्रधान संपादक प्रेमकृष्ण शर्मा ने कहा कि लघु पत्रिका का मतलब होता है विचार और हर तरह के विचार को एक ही मंच पर नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व बनता है कि हम नई पीढ़ी को मंच दें। नई पीढ़ी तक हमारे विचार पहुंचे, वे हमसे जुडें, तभी हमारी कोशिशें कामयाब हो सकेंगी। 'राजस्थली' के संपादक श्याम महर्षि ने कहा

जारी

कि लघु पत्रिकाओं के अस्तित्व को समाज का बहुत बड़ा तबका आज भी स्वीकार करता है। समाज को लघु पत्रिकाओं के आंदोलन की आवश्यकता है। निराश होने की जरूरत नहीं है। नौ पत्रिकाएं बंद होती हैं तो दस पत्रिकाएं शुरू भी हो जाती हैं।

'कुरजां' जयपुर के संपादक ईशमधु तलवार का कहना था कि लघु पत्रिकाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, इसकी नीति बननी चाहिए। वैचारिक आंदोलन लघु पत्रिकाओं के माध्यम से ही जन जन तक पहुंचेंगे, तभी सामाजिक परिवर्तन संभव हो सकेगा। हमें यह देखना होगा कि हम किस प्रकार अपने विचारों से युवा वर्ग को आकर्षित कर सकते हैं। लघु पत्रिकाओं को अपने मतभेद कम करते हुए साझा संगठित रणनीति बनानी चाहिए। विविधा फीचर्स की संपादक ममता जैतली ने कहा कि लघु पत्रिकाओं के माध्यम से आदिवासियों, दलितों और स्त्रियों के मुद्दों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि जब कलम लूटने का माध्यम बन जाएगी तो कलम मुक्ति का काम नहीं कर पाएगी? जयनारायण व्यास विश्विद्यालय जोधपुर में पत्रकारिता के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण ने कहा कि आज सूचना साम्राज्यवाद का युग है। इस समय में लघु पत्रिकाओं की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। वामपंथियों को विश्लेषण करते रहना चाहिए तथा आत्म मुग्धता से बचना चाहिए। आज हम विचारहीन समय में रह रहे हैं। इस विचारहीन समय को विचार में बदलने के लिए लघु पत्रिकाएं सबसे बड़ा माध्यम हैं। संगोष्ठी के अध्यक्ष 'अक्सर' के प्रधान संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने कहा कि लघु पत्रिकाओं के लिए दो चीजें मुख्य होती हैं एक तो प्रतिरोध तथा दूसरा संघर्ष। सब बड़े बड़े लेखक लघु पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि पत्रिका अपने मंतव्यों को पूरा कर रही है या नहीं? उन्होंने कहा कि हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हम अपने आचरण में ईमानदार हैं क्या? हम अपनी पत्रिकाओं में सामग्री छापने के प्रति ईमानदार हैं तो हमारा लघु पत्रिका निकालना सार्थक कहा जाएगा। संगोष्ठी में कुछ सहभागियों ने भी अपने विचार रखे जिनमें जीनगर दुर्गाशंकर गहलोत, भरत मिश्र प्राची, अली अनवर और रामस्वरूप किसान शामिल हैं। इस सत्र का संयोजन शिक्षा विमर्श, जयपुर के संपादक विश्वम्भर ने किया। अंत में राजस्थान साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष आबिद अदीब ने कहा कि ऐसे सम्मेलन हमें शक्ति और प्रोत्साहन देते हैं।

समांतर की उपाध्यक्ष मंजु शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मेलन कितना सार्थक रहा यह आप सबके उत्साह और भागीदारी से पता चल रहा है। सभी संभागियों को बोधि प्रकाशन द्वारा पांच पुस्तकों का सैट भेंट दिया गया। सम्मेलन में पत्रिका प्रेषण के लिए निर्धारित डाक दरों में रियायत के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया कि न्यूनतम डाक दर पच्चीस पैसे होनी चाहिए जो इससे ऊपर पत्रिका के कलेवर के अनुसार तय की जाए। एक और प्रस्ताव के माध्यम से पत्र पत्रिका में प्रकाशन तिथि के निर्धारण की बाध्यता खत्म करने की मांग की गई। प्रस्ताव में कहा गया कि ये पत्रिकाएं सीमित साधनों से निकलती हैं, अतः इनके लिए किसी निर्धारित तिथि की सीमा बांधना व्यावहारिक नहीं है। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 281 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जून 2013 से 28 जून 2013

खबरें संक्षेप में

गुलमोहर फूल नहीं ऊर्जा हैं

• मंजु शर्मा •

उत्तर भारत का वो कोई भी शहर हो सकता है जहां कंचन जैसी लड़कियां रहती हैं। हम उन्हें जानते भी हैं क्योंकि वे हमारे ही घर पड़ौस या मोहल्लों में रहती हैं। खेलती कूदती ये लड़कियां हमारी आंखों के आगे ही बड़ी होती हैं, वैसे ही जैसे और बच्चे बड़े होते हैं। बचपन से लेकर युवा होने तक की प्रक्रिया लड़कियों के लिए क्या उतनी ही सहज और स्वाभाविक है जितनी हमें नजर आती है। क्या क्षणभर को भी उन्हें भूलने दिया जाता है कि वे लड़कियां हैं। इस लड़कीपन से जितना मुक्त होने की कोशिश करती हैं। उतनी ही उसमें जकड़ती जाती हैं। लड़कीपन से कही निजात नहीं है घर, स्कूल, कॉलेज, नौकरी सब जगह एक जैसे हालात।

अबोध बचपन का साथ छूटते ही ये लड़कियां कहां गुम हो जाती हैं। घर परिवार के किन कोनो, अंतरों में समा जाती हैं कि इनकी हंसी, दुख कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। यूं हम बहुत फिक्रमंद भी नहीं है इनकी हंसी खुशी को लेकर कोई अनहोनी हो जाए तो डर कर लड़कियों को घर के भीतर जरूर धकेल देते हैं जैसे घर के भीतर कर देने से हर आपद विपद का निराकरण हो जाएगा। मीनाक्षी स्वामी के उपन्यास 'भूमल' की कहानी अलग अलग कोणों से इसी बात की पड़ताल है कि लड़कियों के संदर्भ में जैविक भिन्नता के सामाजिक भिन्नता में बदल जाती है। सहज सरल भाषा में एक आम शहरी मध्यवर्गीय लड़की के सपनों और संघर्षों की कथा है 'भूमल'। उपन्यास की पूरी कहानी टुकड़ों टुकड़ों हमारे इर्द गिर्द के जीवन को बयान करती है। फर्क शायद इतना ही है कि इन टुकड़ों को जोड़कर देखने के हम आदी नहीं। मीनाक्षी स्वामी का उपन्यास 'भूमल' यह काम करता है। इसीलिए एक साफ तस्वीर उभर पाती है। यह तस्वीर उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था की है जहां लैंगिक पूर्वग्रिहों और भेदभाव को सहज मान लिया गया है।

कथा के केंद्र में कंचन है। जो अपने सवालों से घर परिवार को एक असुविधाजनक स्थिति में डाल देती है। कंचन की आंख हर उस पक्षपात को आर पार देख लेती है जो सिर्फ लड़की होने के नाते उसके साथ हो चुका है। युवा होने तक कंचन अच्छी तरह समझ जाती है कि लैंगिक असमानता दरअसल इस व्यवस्था में ही निहित है इसीलिए घर से लेकर सार्वजनिक जीवन तक इसकी व्याप्ति है। उपन्यास में कई ऐसे छोटे बड़े प्रसंग है जिनके जरिए हम जान सकते है कि लैंगिक पूर्वाग्रह का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ''कक्षा के भीतर पहुंचते ही उसका सारा उल्लास ठंडा पड़ गया। उसके स्कूल में राज के स्कूल की तरह टेबल कुर्सी नहीं थी। यहां बैठने के लिए टाटपट्टी थी। टाटपट्टी पर बैठने में कंचन को इतनी शर्म और ग्लानि नहीं हुई जितनी अम्मा बाबूजी के इस पक्षपात से उसे आघात लगा।'' (पी.17) इसी प्रसंग में हम आगे देखते हैं कि कंचन की मां पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध करती है कि उसे भी ज्यादा फीस वाले बेटे के स्कूल में पढ़ना चाहिए। उनका सीधा सा तर्क है ''उसी फीस को इकट्ठा करें तो इसकी ही शादी में दान दहेज में काम आएगी। राज कोई पराया धन थोड़ी है। बड़े स्कूल में पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा आदमी बनेगा, कमाएगा। हमारा साथ देगा बुढ़ापे में। ये तो चली जाएगी ससुराल, अपना कर्जा वसूल करने। अपने माता पिता के रवैये से छोटी सी कंचन को यह तो पता लग गया कि उसे और राज (भाई) को बहुत सोच समझकर ही अलग अलग स्कूलों में भर्ती करवाया गया है। कंचन का बाल मन इस पक्षपात की भरपाई राज के स्कूल में जबरन घुसकर करता है। अंततः कंचन को भी उस टेबल कुर्सी वाले स्कूल में विविधत भर्ती करा दिया जाता है मगर तमाम जद्जोजहद के बाद इस पूरे प्रकरण में यह देख दिलचस्प होगा कि एक छोटी सी बात मनमाने के लिए कंचन को उग्र और आक्रमक तेवर अपनाने पड़े अन्यथा इसकी जरूरत नहीं थी। उपन्यास में कंचन का चरित्र एक निडर और साहसी लड़की का है जो बचपन से ही गुलमोहर के आग जैसे लाल फूलों को पसंद करती है। गुलमोहर के लाल फूल कंचन की जिजीविषा और ऊर्जा के प्रतीक हैं उपन्यास में।

(विविधा फीचर्स)

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 281 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जून 2013 से 28 जून 2013

खबरें संक्षेप में

मनरेगा का सकारात्मक असर स्कूली नामांकन और शिक्षा पर

• विविधा फीचर्स •

एक हालिया अध्ययन के संकेत है कि आंध्रप्रदेश के ग्रामीण इलाके में मनरेगा कार्यक्रम का सकारात्मक असर स्कूल में बच्चों के नामांकन और उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ा है। कारण कि रोजगार की सुरक्षा देने वाले इस कार्यक्रम से घर के भीतर महिलाओं की स्थिति आर्थिक रूप से मजबूत हुई है। यह अध्ययन आंध्रप्रदेश के पांच जिलों के ग्रामीण परिवार से जुड़े आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें नमूने के तौर पर साल 2007 से 2009–10 के बीच की अवधि के आंकड़े लिए गए हैं जो 3006 बच्चों और ग्रामीण परिवारों से संबंधित हैं। आंकड़े इथोपिया, भारत, वियतनाम और पेरू में 15 वर्षों तक चले बच्चों से संबंधित यंग लाइव्स प्रोग्राम से हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन प्रत्येक देश में 3 हजार बच्चों के जीवन पर नजर रखी गई।

ग्रामीण इलाके के निजी श्रम बाजार के उलट मनरेगा कार्यक्रम में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर मजदूरी दी जाती है। इसके अतिरिक्त मनरेगा कार्यक्रम में विधान है कि लाभार्थियों में एक तिहाई संख्या महिलाओं की होनी चाहिए। अध्ययन में यह जानने की कोशिश की गई कि क्या मनरेगा द्वारा प्रदान किए जा रहे कार्य दिवसों में माताओं की हिस्सेदारी बढ़ने से बच्चों विशेषकार लड़कियों की स्कूल उपस्थिति और शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक असर पड़ा है। अध्ययन में उन्हीं बच्चों से संबंधित आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है जिनकी उम्र साल 2007 में 5–14 साल के बीच थी यानी जो बच्चे स्कूल जाने की उम्र के थे। अध्ययन अनुसार साल 2007 से 2009–10 के बीच मनरेगा के अंतर्गत दिए गए कार्य दिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी पांच गुना बढ़ी है और इसी के अनुरूप दी गई अवधि में बच्चों द्वारा स्कूल में बिताए गए समय में इजाफा हुआ है। अध्ययन के अनुसार अगर साल 2007 में हफ्ते के किसी एक दिन बच्चों ने स्कूल में 5–7 घंटे बिताए तो साल 2009–10 में यह अवधि बढ़कर 7 घंटे हो गई। स्कूल में बिताई गई समयावधि में बढ़ोतरी से पता चलता है कि बच्चों की स्कूल में उपस्थिति ज्यादा नियमित हुई। स्कूल में बिताई गई समयावधि के बढ़ाने को आधार मानकर कहा जा सकता है कि इससे बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि भी बढ़ी है। अध्ययन में कहा गया है कि यह सकारात्मक असर सबसे ज्यादा समाज के निर्धनतम तबके के बच्चों और विशेषकर लड़कियों के मामले में देखने को मिला है।

क्या इसकी एक वजह यह है कि मनरेगा के अंतर्गत कार्यस्थल पर क्रेस की व्यवस्था की जाती है और इस वजह से मनरेगा के अंतर्गत काम पाने वाले किसी परिवार के जो बड़े बच्चे छोटे बच्चों की देखभाल के घर पर ही रह जाते थे। अब इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं? शोधकर्ताओं का तर्क है कि इस बात की संभावना कम है क्योंकि सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि मनरेगा के अंतर्गत काम पाने वाले महज 1फीसदी परिवारों ने साल 2007 में कार्यस्थल पर दी गई क्रेस सुविधा का इस्तेमाल किया जबकि 2009–10 में तकरीबन अस्सी फीसदी परिवारों ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत उनके अब तक के अंतिम कार्यस्थल पर कोई भी क्रेस सुविधा उपलब्ध नहीं थी। शोधकर्ताओं का तर्क है कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाली महिलाओं की आर्थिक हैसियत परिवार के भीतर बढ़ी है, अब परिवार के फैसले लेने में उनकी भी सुनी जाने लगी है और पारिवारिक मामलों में उनके निर्णय का सम्मान किया जाने लगा है। सर्वेक्षण से अलग,गुणात्मक स्तर के साक्षात्कार में यह बात भी सामने आई कि ग्रामीण परिवारों को मनरेगा में हासिल काम के कारण बच्चों के लिए किताब और स्कूली पोशाक खरीदने में आसानी हुई। इससे बच्चे के जीवन की एक निर्णायक अवधि में वे बच्चों में निवेश करने में सक्षम हुए और इसका सामाजिक स्तर पर आगे कहीं ज्यादा बड़ा फायदा मिलेगा। **(विविधा फीचर्स)**